उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड़

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड, एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, चन्दर रोड , डालनवाला, देहरादून द्वारा अनुसूचित जाति के एकल कलाकारों को पारम्परिक वाद्य यंत्र यथा–ढ़ोल दमांऊ, मसकबीन रणसिंगा तुरही नागाड़ा, ढ़ाल–तलवार आदि निशु:ल्क प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों के पारम्परिक/लोक कलाकारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 15 फरवरी 2025 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

1–किसी कलाकार को आजीवन वाद्ययंत्र एक बार ही दिया जायेगा।

2–आवेदक की मासिक आय ₹ 2000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए, आय सम्बन्धी प्रमाण–पत्र तहसीलदार स्तर से लिया जाना आवश्यक होगा।

3–एक परिवार में एक से अधिक कलाकार को वाद्ययंत्र नहीं दिया जायेगा।

4–एक कलाकार को एक ही वाद्य यंत्र दिया जायेगा।

5–परम्परागत वादक परिवार (बाजगीय) के कलाकार को वाद्ययंत्र दिये जाने हेतु वरीयता दी जायेगी

6–आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7–यदि किसी आवेदक को संस्कृति विभाग की अन्य योजना में कोई आर्थिक सहायता अथवा वाद्ययंत्र प्राप्त हुये हो, तो उसे यह सुविधा/लाभ अनुमन्य नहीं होगा, सम्बन्धित कलाकार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसे विभाग के अन्य योजना से कोई अनुदान अथवा वाद्ययंत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा कलाकारों को वाद्ययंत्र दिये जाने की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात सचिव, संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत की जायेगी। समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट–समस्त आवेदन पत्र दिनांक 15 फरवरी 2025 तक सम्बन्धित जिलाधिकारी की संस्तुति सहित जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से संस्कृति निदेशालय , एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, चन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून को उपलब्ध/प्रस्तुत कराना होगा। निर्धारित तिथि पश्चात एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड

अनुसूचित जाति के परम्परागत/पेशेवर कलाकारों को नि:शुल्क वाद्ययंत्र दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

1– आवेदक कलाकार का नाम..(मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)

2–पिता/पति का नाम..

3–आवेदक की आयु...............................(शैक्षिक प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्ट्रर की छायाप्रति संलग्न करें)

4– जाति........................(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)

5–आवेदक की मासिक आय..(मासिक आय ₹ 2000/–सम्बन्धी आय प्रमाण–पत्र तहसीलदार स्तर से निर्गत हो संलग्न करना आवश्यक है)

6–बी0पी0एल0 कार्ड धारक खण्ड विकास अधिकारी से बी0पी0एल कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

7– आवेदक का पूरा पता...

8–परम्परागत वाद्ययंत्र का नाम जिसमें आवेदक निपुण हो...............................

9–यदि आवेदक परम्परागत वादक परिवार(बाजगीय) से तालुक रखते हैं (तो विवरण दें)..............................

10–वाद्ययंत्र का नाम जिसे निशुल्क प्राप्त करने हेतु आवेदन किया हो..

11–मोबाईल न0–.....................................

शपथ पत्र

मैं ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मुझे संस्कृति विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग की किसी अन्य योजना से कोई आर्थिक सहायता/अनुदान एवं पूर्व में वाद्ययंत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

दिनांक........................ हस्ताक्षर..........................

आवेदक का नाम.............................